कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक 4489/12-1 दिनांक, मसूरी 21-04-2015।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय किकेट स्टेडियम तक चार लेन पहुॅचमार्ग के नव निर्माण हेतु 1.92 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ROAD/10198/2015 dt. 18.02.2015.**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 2077 / 12–1(1), दिनांक 08–04–2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश द्वारा विषयांकित प्रकरण में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित संशोधित दस्तावेज इस कार्यालय को अपने पत्र सं0 174 / 23सी0 / AEO D.Dun दिनांक 17.04.2015 से आनलाईन प्रेषित किये गये हैं, जिन्हें आनलाईन मय हार्ड प्रति के अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–: उक्तानुसार।

भवदीय

प्रशासनिक अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 4489/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश, को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में।

प्रशासनिक अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी। ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

पत्रांक– 174 /23सी0 /AEO Rishi...   दिनांक– 17 / 4 /2015
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वनप्रभाग,
मसूरी।

विषय:– जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर में राजीवगॉधी अर्न्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.92 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/10507/2015 Dated 18-02-2015

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 12–1 दिनांक मसूरी 09.04.2015

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र क कम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धी दस्तावेजो की पुनः छानबीन कर सुस्पष्ट दस्तावेज ऑनलाइन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकरी महोदय देहरादून द्वारा की गई कार्यवाही की Hard copy नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पत्रांक– /23सी0   दिनांक– / /2015
प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता प्रथम/खण्डीय अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

Annexure-1

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No...214.......   Dated...17/9/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 1.92 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. division PWD Rishikesh (Name of User agency) for Constuction of Rajeev Gandhi international cricket stadium into four lane Road(purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Soada Saroli, Raipur village(s) in Dehradun tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 1.92 hectares of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
b. the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3.(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
c. the proposal does not invole recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

(Full name and offial seal of the District collector)

District Magistrate
Dehra Dun.

AE.

Executive Engineer
Temporary Division P.W.D.
Rishikesh

Annexure-II

FORM-I
(For Project other than linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No....217........

Dated....17/4/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 1.92 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. division PWD Rishikesh (Name of User agency) for Constuction of Rajeev Gandhi international cricket stadium into four lane Road(purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Soada Saroli, Raipur village(s) in Dehradun tehsils.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 1.92 **hectares** of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2

b. the proposal for sach diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA

c. the each of concerned Gram Sabh(s), has certified that all formalities/prpceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Soada saroli Raipur, village.

d. the discussion and decision on sach proposal had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas have given their consent to it.

e. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Grama sabhas have given their consent to it.

f. the rights of primtive Tribal Groups and pre-Agariculture Communities where application have been Specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature

(Full name and offical seal of the District collector)

District Magistrate
Dehra Dun.

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

पत्रांक– 105 /

दिनांक– 9 / 04 / 2015

जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर यथा संशोधित के धारा –6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–98–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 03.08.2009 द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार जिलास्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 9-4-15 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परमपरागत वन निवासी के Right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श किया गया।

जिला देहरादून के अन्तर्गत रायपुर रेंज में विकासखण्ड रायपुर में राजीवगांधी अर्न्तराष्ट्रीय किकेंट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग निर्माण हेतु 1.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार ग्राम पंचायत रायपुर के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा बैठक में दिनांक 30.08.2014 को विचार विर्मश कर नियमानुसार निस्तारण किया गया। उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा 6 (3) के प्राविधान अनुसार उपजिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में गठित उप जिलास्तरीय समिति द्वारा की बैठक 03.04.2015 को विचार विर्मश कर निस्तारण हेतु जिलास्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त समितियो के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वन भूमि हस्तान्तरण में यह पाया गया कि मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज के आरक्षित वन भोपाल पानी कक्ष सं0.8 में चिन्हित भू–भाग पर वन अधिकार हेतु किसी अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नही है।

बैठक मे जिलास्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।

(राम अवतार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

(धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग मसूरी

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी देहरादून

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN. (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act. (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ravi Nath Raman I.A.S. deputy commissioner Dehradun on date09.04.2015 at time 4.00 p.m. at Dehradun in which application claiming rights in Rajeev Gandhi International Cricket Stadium four lane motor road area measuring 1.92 hect. For the construction of in Rajeev Gandhi International Cricket Stadium four lane motor road (800 Mtr.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Raipur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Dehradun.

Dated – 09.04.2015

Deputy Commissioner-cum-chairman
District Level Committee
District Magistrate
Dehra Dun.

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून
अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय समिति, रायपुर, देहरादून

उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीवगांधी अन्तर्गराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (1.92 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल/समाज भूमि, – है0 नाप भूमि) वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून), रायपुर की बैठक दिनांक 03-04-2015 का कार्यवाही विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रामजी शरण शर्मा......, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री रामजी शरण शर्मा..., उपजिलाधिकारी, देहरादून– अध्यक्ष
2– श्री देवी प्रसाद बलोनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी–सदस्य
3– श्री बी0डी0 राणा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रायपुर–सदस्य/सचिव
4– श्री तोताराम,, बी0डी0सी0 क्षेत्र – रायपुर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीवगांधी अन्तर्गराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (1.92 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल/समाज भूमि, – है0 नाप भूमि) वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर मे राजीवगांधी अन्तर्गराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग/सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रायपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में राजीवगांधी अन्तर्गराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग निर्माण हेतु (1.92 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल/समाज भूमि, – है0 नाप भूमि) वनभूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश, देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–देहरादून, उपखण्ड रायपुर,
देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–देहरादून, उपखण्ड रायपुर,
देहरादून

<u>उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक..03 - 04 - 2015</u>

क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	रामजी शरण शर्मा	उपजिलाधिकारी देहरादून	[signature]
2	डी॰पी॰ बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून	[signature]
3	बी॰डी॰ राना	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग सहायक समाज कल्याण अधिकारी [signature]
4	तोता राम	क्षेत्र पंचायत सदस्य	[signature] क्षे॰ पंचायत सदस्य रायपुर II तोताराम (राहुल) ह॰....... दि॰.......

कार्यालय
ग्राम पंचायत रायपुर
तहसील–देहरादून, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (1.92 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल / समाज भूमि, – है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम रायपुर के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0 आर0 ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (1.92 है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल / समाज भूमि, – है0 नाप भूमि) वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश को विकासखण्ड रायपुर में राजीवगाँधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हेतु चार लेन पहुँच मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत रायपुर
देहरादून

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत रायपुर
प्रधान
राजेश कुमार
वि0ख0 रायपुर, देहरादून (उ0ख0)

ग्राम पंचायत रायपुर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	MUKESH KATARIA	MKumar
2-	Dilpendra Gurung	[illegible]
3	Narayan Singh Pamar	N. S. Pamar
4.	Khem Singh	KSingh
5-	दीपक थापा	Deepak
6-	संजय रमोला	S.Ramola
7-	रामअवतार	रामअवतार
8-	Neelam	Neelam
9-	Arushi	[illegible]
10-	तोताराम	[illegible]
11.	रामेन्द्र	Ramendra
12-	विकास राणा	VRana
13-	महेन्द्र	[illegible]
14-	करन राणा	Karan
15-	धर्मेन्द्र कुमार	[illegible]
16-	रमेश सिंह	रमेश सिंह
17-	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
18	प्रवीन कुमार	प्रवीन कुमार
19	नवीन पन्त	नवीन पन्त
20	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
21	कमल सिंह	कमल सिंह

ग्राम पंचायत रायपुर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
22	MUKESH KATARIA	[signature]
23	Dipendra Gurung	[signature]
24	Narayan Singh Danwar	[signature]
25	Khem Singh	[signature]
25-	राजेश कुमार	[signature]
26	मनबहादुर	मनबहादुर
28-	राजकुमार	[signature]
29-	Vinay Rawat	[signature]
30-	Gourav	[signature]
31	बीर सिंह	बीर सिंह
32	प्रेम राज	प्रेम राज
33	सुरत सिंह	सुरत सिंह
34	रमेश कुमार	रमेश कुमार
35	सुरेन्द्र दत्त	सुरेन्द्र दत्त
26	सुन्दर लाल	सुन्दरलाल
27	राम अवतार	राम अवतार
28	किशन सिंह	किशन सिंह
29	धर्म पाल	धर्मपाल
30	महीपाल	महीपाल
32	कर्मचन्द	कर्मचंद
33	नरेश कुमार	नरेश कुमार

ग्राम पंचायत रायपुर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
43	MUKESH KATARIA	[illegible]
44	Dipendra Gurung	[illegible]
45-	Narayan Singh Dumeeg	[illegible]
46-	KhemSingh	[illegible]
47-	प्रेम कुमार	[illegible]
48-	विजेन्द्र सिंह	विजेन्द्र सिं.
49-	रतिराम	रतिराम
50-	कमलकिशोर	कमलकिशोर
51-	Ashish Sejwan	Asejwan
52-	Ashish Panwar	Ashish
53-	मदन सिंह	[illegible]
54-	Virender Singh Nakati	V Nakati
55-	Manoj Kumar	[illegible]
56	Sheela Rawat	शीला देवी
57-	Suman Devi	सुमन देवी
58-	मो० नईम	मो० नईम
59-	यासीन खान	यासीन खान
60-	बलजीत सिंह	बलजीत सिंह
61-	कमलराज सिंह	कमलराज सिंह
62-	चन्द्र पाल	चन्द्र पाल
63-	करनपाल सिंह	करनपाल सिंह